संख्या–वे0आ0–2– 1989 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) खाण्डसारी अधिकारी एवं कर वसूली अधिकारी के पदों को संविलीन कर खाण्डसारी अधिकारी पदनामित किया जाय। कर वसूली अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य खाण्डसारी अधिकारी से कराये जायें।

(3) खाण्डसारी निरीक्षक के पद पर वरिष्ठ लिपिक के पद से पदोन्नति की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करते हुए खाण्डसारी निरीक्षक के पदों को पूर्व निर्धारित अर्हता के अभ्यर्थियों से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाने का प्राविधान किया जाय।

(4) विभाग में विद्यमान लिपिकीय संवर्ग के पदों को पुनर्गठित करते हुए शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर 2010 के द्वारा लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये सामान्य निर्णय के अनुसार पदनाम, वेतनमान व संवर्गीय ढॉचा निर्धारित किया जाय।

विभाग में विद्यमान संकलन सहायक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 2000/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड

वेतन रू0 2800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराते हुए इन पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाय।

(5) खाण्डसारी अधिकारी एवं खाण्डसारी निरीक्षक के पदों के लिये राजस्व विभाग के तहसीलदार/चकबन्दी अधिकारी तथा नायब तहसीलदार के पदों के समान वेतनमान दिये जाने की मॉग का औचित्य नहीं है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

(6) विभाग की अभियन्त्रण इकाई में विद्यमान पदों की कार्यात्मक आवश्यकता का परीक्षण निर्माण/अनुरक्षण हेतु उपलब्ध कार्यों के सापेक्ष किया जाय। परीक्षणोपरान्त अनुपयोगी पाये जाने वाले पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय।

(7) सहायक गन्ना आयुक्त (सॉख्यिकीय) एवं सॉख्यिकीय अधिकारी के पद पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में आ जाने के दृष्टिगत इन पदों को संविलीन करते हुए सॉख्यिकीय अधिकारी पदनामित किया जाय तथा उप गन्ना आयुक्त के पदों को सॉख्यिकीय अधिकारी के पदों से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था का प्राविधान किया जाय।

(8) गन्ना पर्यवेक्षक के पदों पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने तथा इन पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता कृषि/विज्ञान में स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर संचालन में डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र निर्धारित करते हुए रू0 4000–6000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(9) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

/

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2–1989 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।

2— कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3— निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।